HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 5412/2026

Ravikant @ Ravi @ Rahul S/o Lalchand, R/o Anand City, Near Mega Highway, Khejda Ka Bas, Bandikui, Tehsil Bandikui, District Dausa (At Present Confined In Sub Jail Kolana Bandikui).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

Connected With

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 5413/2026

Santosh Kumar @ Rakesh S/o Late Shri Jagdish Prasad, Aged About 44 Years, R/o House No. 1445, Ward No. 17, Handloom Wali Gali, Trambe Station P.s. Clock Tower, District Ajmer. (At Present Confined In Sub Jail Kolana Bandikui).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 5461/2026

Vishal Panwar Alias Ashok S/o Shri Jagdish Panwar, Aged About 40 Years, R/o House No. 893, Ward No. 17 Handloom Wali Gali, Trombe Station Thana Clock Tower District Ajmer. (Presently Confined At Sub Jail Bandikui).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Mohar Pal Meena Mr. Mohd Isaq Abbasi Mr. kritin Sharma
For Respondent(s)	:	Mr. Vivek Chaudhary, PP

HON'BLE MR. JUSTICE PRAVEER BHATNAGAR

Order

09/04/2026

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु पृथक्–पृथक् जमानत प्रार्थना पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 483 के अन्तर्गत पुलिस थाना– बांदीकुई (दौसा), जिला– दौसा में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या– 544/2024 अपराध अन्तर्गत धारा 420, 406, 120–बी भारतीय दंड संहिता में पेश किए गए हैं।

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को प्रकरण में झूठा संबद्ध किया गया है। प्रकरण में जो इकरारनामा विक्रय पत्र तथाकथित रूप से फर्जी निष्पादित करना बताया गया है, वह अन्य सहअभियुक्त अशोक कुमार के द्वारा परिवादी से निष्पादित किया गया है एवं अशोक कुमार द्वारा ही इस संदर्भ में 3,80,000/– रुपये की राशि परिवादी से प्राप्त की गई है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण उक्त इकरारनामे के मात्र साक्षीगण हैं, प्रार्थीगण/अभियुक्तगण लाभार्थी नहीं हैं। प्रकरण मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण लंबे समय से अभिरक्षा में चल रहे हैं एवं प्रकरण के विचारण में लंबा समय लगने की संभावना है। अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जाए।

विद्वान् लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदनों का विरोध किया गया। उनका तर्क है कि परिवादी द्वारा जो प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कराई गई है, उसमें उसने स्पष्ट रूप से प्रार्थीगण/अभियुक्तगण व अन्य मुख्य अभियुक्त अशोक कुमार के साथ मिलकर इकरारनामे के आधार पर उक्त प्लॉट अशोक कुमार द्वारा बेचान करना बताया गया है और उक्त प्लॉट के संदर्भ में अन्य सहअभियुक्त अशोक कुमार का कोई स्वामित्व होना नहीं पाया गया है। इस प्रकार प्रार्थीगण/अभियुक्तगण ने अन्य सहअभियुक्त अशोक कुमार के साथ मिलकर परिवादी से धोखाधड़ी कर 3,80,000/– रुपये की राशि प्राप्त की गई है। अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के जमानत आवेदन अस्वीकार किए जाएं।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रक्रम पर प्रकरण के गुणावगुणों पर कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं है। प्रकरण मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण लंबे समय से अभिरक्षा में चल रहे हैं एवं प्रकरण के विचारण में लंबा समय लगने की

संभावना है। अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों एवं इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि प्रकरण में जो इकरारनामा निष्पादित किया गया है, वह अन्य सहअभियुक्त अशोक कुमार द्वारा परिवादी के पक्ष में निष्पादित किया गया है, मैं प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के जमानत आवेदनों को स्वीकार किए जाने योग्य समझता हूँ।

परिणामतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **1. रविकांत उर्फ रवि उर्फ राहुल पुत्र लालचंद, 2. संतोष कुमार उर्फ राकेश पुत्र स्व. जगदीश प्रसाद, 3. विशाल पवार उर्फ अशोक पुत्र जगदीश पवार** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाते हैं और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रत्येक प्रार्थी/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे तलब किया जावे, उपस्थिति हेतु पचास हजार रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व पच्चीस–पच्चीस हजार रुपये की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तथा उनकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(PRAVEER BHATNAGAR),J

MOHIT/ 64-66